>

Title: Need to expedite the process of land acquisition by West Central Railways for construction of railway line between Ramganjmandi and Bhopal.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : रामगंज मण्डी-भोपाल रेलवे लाइन काफी समय पूर्व स्वीकृत हो चुकी है व उसके निर्माण की प्रारंभिक स्थिति में भूमि को सुरक्षित रखने आदि का कार्य (मध्य प्रदेश) सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किया जा चुका है। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर राजगढ़ मध्य प्रदेश ने इस संबंध में आवश्यक आदेश व भू-अर्जन से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज पश्चिम मध्य रेलवे कोटा को उपलब्ध करा दिये थे। परंतु पश्चिम-मध्य रेलवे ने आज तक भू-अर्जन हेतु आवश्यक धारायें 4-6 के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव कलेक्टर राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को उपलब्ध नहीं कराये हैं। भू-अर्जन की इन प्रारंभिक धाराओं के प्रकाशन के लगभग 2 वर्ष बाद मुआवजा वितरित होकर रेलवे विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने में जो देरी हो रही है, उसके कारण उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय सीमा में होना संभव नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में इस रेलवे लाइन की लागत में भी कई गुना वृद्धि हो जायेगी। यहां एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि मार्च, 2008 में पश्चिम मध्य रेलवे ने इस रेलवे लाइन के भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में 20 करोड़ रूपए कलेक्टर राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को उपलब्ध करा दिये थे, लेकिन आवश्यक धाराओं के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही समय पर न होने के कारण यह राशि केवल बैंकों में जमा है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त रेलवे लाइन के निर्माण हेतु भूमि-अर्जन की प्रक्रिया को गति प्रदान करें ताकि उपरोक्त रेल लाइन का निर्माण जल्द हो सके।